



2026 : AHC : 127283

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 5382 वर्ष 2026

अजीत चौधरी @ अजीत सिंह @ लकी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : बबली, पुष्पेंद्र कुमार

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी।
2. आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत प्रकरण अपराध संख्या 314 वर्ष 2025 में धारा 351(2), 352, 340(2), 336(3), 338, 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना-सदाबाद कोतवाली, जिला- हाथरस में अपनी गिरफ्तारी की आशंका में वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे से वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी के आरोप के अनुसार, सह-आरोपी शिव कुमार गौतम और प्रथम शिकायतकर्ता के बीच बिक्री का समझौता हुआ था। आगे निवेदन किया गया है कि सह-आरोपी कमला कांत गौतम, जिसने अग्रिम राशि प्राप्त की थी, को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है, जबकि एक अन्य सह-आरोपी शिव कुमार गौतम को इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 11.11.2025 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 8316 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी गई है, इसलिए आवेदक भी अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आवेदक ने हलफनामे के प्रस्तर संख्या 18 में अपने आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह निवेदन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. अग्रिम जमानत के दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन दूरदर्शी निर्णयों में समाहित किया गया है, जिनमें **गुरुबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565**, **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694** और **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1** शामिल हैं। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठे या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, जांच और मुकदमे में आरोपी के सहयोग की इच्छा, आरोपी का आचरण और भागने का जोखिम आदि का मूल्यांकन करना चाहिए।

6. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सह-आरोपियों को उपर्युक्त अपराध संख्या में पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जबकि उक्त अपराध में आरोपी आवेदकों की भूमिका उन आरोपियों के समान है जिन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है, न्यायालय अग्रिम जमानत देने के लिए सहमत है।

7. उपर्युक्त प्रकरण में अपराध के आरोपी आवेदक- **अजीत चौधरी उर्फ अजीत सिंह उर्फ लकी** इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर न्यायालय या जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होंगे और 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किए जाएंगे:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक को अवर न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (i) प्रकरण की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से प्रकरण की योग्यता पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना)

15 जून, 2026

अभिषेक